

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

व्य.वाद कमांक 28ए/2015

संस्थित दिनांक 29.06.2015

फाईलिंग नंबर-6232015

1. श्रीमति जुगरीबाई उम्र-70 वर्ष पति मोहन, जाति गोंड,
2. रामप्रसाद उम्र-36 वर्ष पिता मोहन, जाति गोंड,
दोनों निवासी ग्राम मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
3. ईमलाबाई उम्र-40 वर्ष पति दिलीपसिंह, जाति गोंड,
निवासी ग्राम टिंगीपुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
4. विमलाबाई उम्र-38 वर्ष पति लाकेश जाति गोंड,
5. शिवप्रसाद उम्र-29 वर्ष पिता मोहन जाति गोंड,
दोनों निवासी ग्राम मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
6. चंद्रकलीबाई उम्र-32 वर्ष पति दीपक जाति गोंड,
निवासी ग्राम सुरवाही तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

1. दशोदाबाई उम्र-60 वर्ष पति गणेश जाति गोंड,
निवासी ग्राम उमरझोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
2. मोतीनबाई उम्र-55 वर्ष पति मेहतर जाति गोंड,
निवासी ग्राम तरेगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
3. मोतीलाल उम्र-45 वर्ष पिता महासिंह जाति गोंड,
निवासी ग्राम बोदा तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
4. दशमोतिनबाई उम्र-42 वर्ष पति बिसन जाति गोंड, निवासी ग्राम
तितरी थाना रेंगाखार तहसील बोडला जिला कबीरधाम(छ0ग0)

5. कलाबाई उम्र-40 वर्ष पति बाला जाति गोंड, निवासी ग्राम सिंगनपुरी तहसील बोड़ला थाना चिल्पी जिला कबीरधाम(छ0ग0)
6. सन्तलाल उम्र-50 वर्ष पिता नामालूम जाति गोंड, निवासी ग्राम समरिया तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
7. गौथरबाई उम्र-52 वर्ष पति कुन्दनसिंह जाति गोंड, निवासी ग्राम पण्डाटोला(मंडई) तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
8. विलसबती उम्र-45 वर्ष पति नामालूम जाति गोंड, निवासी ग्राम गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट,
9. साहोबाई उम्र-65 वर्ष पति अकलसिंह जाति गोंड, निवासी ग्राम मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
10. कोपेबाई उम्र-60 वर्ष पति प्रतापसिंह जाति गोंड, निवासी ग्राम मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
11. भागरती उम्र-30 वर्ष पति महादेव जाति गोंड, निवासी ग्राम सायल तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
12. गुड्डन उर्फ रामकली उम्र-28 वर्ष पति नारेन्द्र जाति गोंड, निवासी ग्राम पण्डाटोला मण्डई, तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
13. भानूदा उम्र-35 वर्ष पिता कन्हैया जाति गोंड, निवासी ग्राम मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
14. हिरोन्दाबाई उम्र-60 वर्ष पति चैनसिंह जाति गोंड, निवासी मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
15. चिरोन्दाबाई उम्र-55 वर्ष पति सरपूसिंह निवासी ग्राम पण्डाटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
16. बहेरा उम्र-45 वर्ष पिता झुम्मुकलाल निवासी पण्डाटोला तहसील बिरसा जिला बालाघाट,
17. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय, बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::**(दिनांक 27.02.2018 को घोषित)**

01— यह वाद मौजा मण्डई प.ह.न.47 जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त संपत्ति ख.नं.71/1 रकबा 4.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़, ख.नं.29/3 रकबा 2.45 एकड़, खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52 एकड़, ख.नं. 39/4 रकबा 3.00 एकड़ एवं मौजा बोदा प.ह.नं.46 में स्थित खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़, ख.नं.32/2 रकबा 0.24 एकड़ कुल रकबा 44.79 एकड़ भूमि के विषय में हक घोषणार्थ, अंश निर्धारण एवं बंटवारा कर कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित पते के निवासी होकर आपस में सगे रिश्तेदार हैं। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल पुरुष झुम्मुकलाल के विधिक वारसान हैं। मूल पुरुष झुम्मुकलाल की नौ संतान है, जिसमें पांच पुत्र एवं चार पुत्रियाँ हैं, जो क्रमशः माहासिंह, माहोबाई, साहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह, हिरोन्दीबाई, चिरोन्जाबाई, महेश एवं कन्हैया थे। माहासिंह, माहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह एवं कन्हैया की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण झुम्मुकलाल के पुत्र मोहन के वारसान हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 झुम्मुकलाल के बड़े पुत्र माहासिंह के वारसान, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 झुम्मुकलाल की पुत्री माहोबाई के वारसान तथा प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 झुम्मुकलाल के पुत्र प्रतापसिंह के वारसान तथा प्रतिवादी क्रमांक 13 झुम्मुकलाल के छोटे पुत्र कन्हैयालाल की वारसान अर्थात् पुत्री हैं। झुम्मुकलाल मूल रूप से ग्राम मण्डई का निवासी था। ग्राम मण्डई में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि स्थित थी। झुम्मुकलाल ने खानदानी भूमि में से उसे हिस्से में प्राप्त भूमि को आय एवं स्वयं की कमाई से ग्राम मण्डई एवं बोदा में खानदानी भूमि के अलावा और भी भूमि क्रय किया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

03— खानदानी भूमि मौजा मण्डई प.ह.नं.47 खसरा नंबर 71/1 रकबा 4.04/1.635 हेक्टेयर, 49/1 रकबा 5.71/2.308 हेक्टेयर, 54/9 रकबा 0.54/0.217 हेक्टेयर कुल 3 रकबा 10.29/4.160 हेक्टेयर है। झुम्मुकलाल द्वारा कय की गई ग्राम मण्डई की भूमि खसरा नंबर 29 में से रकबा 2.45, खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52/1.829 हेक्टेयर, खसरा नंबर 39/4 रकबा 3.00/1.214 हेक्टेयर कुल 3 रकबा 9.97 एकड़ है। झुम्मुकलाल द्वारा कय की गई ग्राम बोदा की भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़, ख.नं.32/2 रकबा 5.00 एकड़, खसरा नंबर 32/1 में से रकबा 3.15 एकड़, खसरा नंबर 5/21 रकबा 0.24 एकड़ कुल 4 रकबा 24.53 एकड़ है।

04— उक्त वर्णित भूमि में से ग्राम मण्डई की खसरा नंबर 74/1 रकबा 4.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़ कुल 10.29 एकड़ भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, जो झुम्मुकलाल को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुई थी। पारिवारिक विभाजन के पश्चात झुम्मुकलाल ने उक्त खानदानी भूमि की आय से दिनांक 30.12.1966 को खसरा नंबर 29 में से 2.45 एकड़ भूमि अपने स्वयं के नाम से कय किया था, जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 29/3 राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई। इसी प्रकार झुम्मुकलाल द्वारा ग्राम मण्डई में ही उक्त खानदानी भूमि की आय से अपने नाबालिग पुत्र मोहन के नाम पर खसरा नंबर 39 में से रकबा 4.052 एकड़ भूमि दिनांक 15.02.1957 को कय किया जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 29/2 रकबा 4.52/1.829 हेक्टेयर दर्ज हुई एवं पुनः मोहन एवं प्रताप के नाम से दिनांक 09.05.1963 को खसरा नंबर 39/1 में से 3.00 एकड़ भूमि कय किया जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 39/4 राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई।

05— ग्राम बोदा प.ह.नं.46 में झुम्मुकलाल द्वारा अपनी उपरोक्त खानदानी भूमि की आय से अपने नाबालिग पुत्र महासिंह के नाम से खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़ भूमि दिनांक 15.10.1956 को कय किया एवं खसरा नंबर

5/21 रकबा 0.24 एकड़ भूमि भी दिनांक 22.12.1958 को महासिंह के नाम से ही क़य कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया तथा ग्राम बोदा में ही झुम्मुकलाल द्वारा अपने नाबालिग पुत्र कन्हैयालाल के नाम से खसरा नंबर 32/1 में से 3.15 एकड़ भूमि दिनांक 07.06.1974 को तथा खसरा नंबर 32 में से ही 5.00 एकड़ भूमि दिनांक 15.01.1968 को क़य कर अपने नाबालिग पुत्र कन्हैया के नाम से विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया। झुम्मुकलाल द्वारा ग्राम मण्डई में 9.97 एकड़ एवं ग्राम बोदा में 24.53 एकड़ कुल 34.50 एकड़ भूमि अपनी खानदानी भूमि की आय से क़य की गई, जिसे अपने नाबालिग पुत्रों के नाम से विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया है। झुम्मुकलाल की खानदानी भूमि सहित कुल 44.79 एकड़ भूमि थी, जिसे वह अपने परिवार के साथ काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।

06— ग्राम बोदा ग्राम मण्डई से कुछ दूरी पर स्थित है और ग्राम मण्डई से ग्राम बोदा में जाकर कृषि कार्य करने में झुम्मुकलाल को परेशानी होती थी, इसलिये कुछ समय पश्चात झुम्मुकलाल ने ग्राम बोदा में ही एक मकान बना लिया था, जिसमें रहकर वह कृषि कार्य करता था। झुम्मुकलाल का बड़ा पुत्र महासिंह बड़ा हो गया और उसका विवाह हुआ, तब महासिंह अपने परिवार अर्थात् अपनी पत्नि के साथ ग्राम बोदा के ही मकान में जाकर रहने लगा, तब से झुम्मुकलाल का शेष परिवार ग्राम मण्डई में ही निवास करता था, जो वर्तमान में भी ग्राम मण्डई में ही निवासरत है। झुम्मुकलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी खानदानी एवं क़य की गई भूमि का अपने परिवार में अंदाजन विभाजन कर दिया था और उक्त आधार पर उसके वारसान वर्तमान में भी काबिज है, परन्तु झुम्मुकलाल की उपरोक्त संपूर्ण 44.79 एकड़ भूमि का वर्तमान तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ और झुम्मुकलाल ने क़य किया, उसी आधार पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज है।

07— झुम्मुकलाल के जीवनकाल से ही उसका बड़ा पुत्र महासिंह ग्राम बोदा में निवास करता था, इसलिये ग्राम बोदा की भूमि पर उसका ही जोत एवं कब्जा रहा और ग्राम मंडई की भूमि पर झुम्मुकलाल के शेष वारसान का जोत व कब्जा रहा और किसी भी पक्ष ने अभी तक उक्त भूमि के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं किया। वर्ष 2014 के दीपावली त्यौहार के एक सप्ताह पश्चात दिनांक 30.10.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 03 मोतीलाल ग्राम मण्डई में वादीगण के घर आया और वादीगण से कहने लगा कि वादीगण जिस मकान में रहते हैं, वहाँ पर उसका हिस्सा है और वह उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाये, जिस पर वादीगण ने कहा कि झुम्मुकलाल ने यह मकान उन्हें रहने के लिये दिया है और झुम्मुकलाल के जीवनकाल से वह लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, इसलिये बिना संपूर्ण भूमि का विभाजन हुए वह मकान खाली नहीं करेंगे, तब प्रतिवादी क्रमांक 03 ने वादीगण को धमकी दिया कि यदि मकान खाली नहीं करोगे तो बुलडोजर लाकर मकान को तुड़वा देगा और ग्राम बोदा की भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं देगा और वादीगण ग्राम मण्डई की जिस भूमि में काबिज है, उससे भी उन्हें बेदखल कर देगा।

08— उपरोक्त संपूर्ण भूमि वादीगण की खानदानी एवं वादीगण के पूर्व झुम्मुकलाल द्वारा अर्जित भूमि होने से उक्त संपूर्ण भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हक अधिकार है और संपूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि होने से सभी वादी एवं प्रतिवादीगण उसमें से अपना हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है तथा वादीगण उन्हें हिस्से में प्राप्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के हकदार है। मूल पुरुष झुम्मुकलाल की कुल नौ संतान है, जिसमें पांच पुत्र एवं चार पुत्रियाँ थी, जिसमें से वादीगण झुम्मुकलाल के पुत्र मोहन के उत्तराधिकारी है, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 झुम्मुकलाल के बड़े पुत्र महासिंह के

वारसान है, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 झुमुकलाल की पुत्री साहोबाई की संतान है।

09— झुमुकलाल की पुत्री साहोबाई स्वयं जीवित है और प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 झुमुकलाल के पुत्र प्रतापसिंह के वारसान है और प्रतिवादी क्रमांक 13 झुमुकलाल के छोटे पुत्र कन्हैया की पुत्री है, प्रतिवादी क्रमांक 14 से 16 मूल पुरुष झुमुकलाल की द्वितीय पत्नि मनटोराबाई से उत्पन्न संतान है। उक्त संपूर्ण भूमि पर वादीगण का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 09 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 का 1/9 एवं प्रतिवादी क्रमांक 13 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 14 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 15 का 1/9 अंश तथा प्रतिवादी क्रमांक 16 का 1/9 अंश अर्थात् लगभग 4.97 एकड़ भूमि का स्वत्व एवं हिस्सा है।

10— उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, क्योंकि उक्त भूमि में से 10.29 एकड़ भूमि झुमुकलाल को खानदानी हक में प्राप्त हुई थी और शेष भूमि झुमुकलाल द्वारा स्वयं कय की गई है, इसलिये उक्त संपूर्ण भूमि जो वर्तमान में भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान में अलग-अलग झुमुकलाल के वारसान के नाम से दर्ज है। संपूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि होने के कारण उस पर झुमुकलाल के सभी वारसानों का स्वत्व एवं हक होने की घोषणा की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे तथा उपरोक्त वर्णित अनुसार उक्त भूमि पर वादीगण का 1/9 अंश प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 का 1/9, प्रतिवादी क्रमांक 09 का 1/9, प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 का 1/9 एवं प्रतिवादी क्रमांक 13 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 14 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 15 का 1/9 अंश तथा प्रतिवादी क्रमांक 16 का 1/9 अंश अर्थात् लगभग 4.97 एकड़ भूमि का स्वत्व एवं हिस्सा होने से उक्तानुसार अंश निर्धारण कर बंटवारा की

आज्ञप्ति प्रदान किया जाकर प्रत्येक हिस्सेदार को उन्हें बंटवारा में प्राप्त भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

11— प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 को उक्त बात ज्ञात होने के पश्चात भी उक्त संपूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि एवं खानदानी भूमि की आय से क्रय की गई भूमि है, जिस पर सभी का हक व हिस्सा है, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 द्वारा ग्राम बोदा की किसी भी भूमि पर वादीगण का हक ना होने एवं ग्राम मण्डई में जिस मकान में वह निवास करते हैं, उससे बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

12— वाद कारण दिनांक 30.10.2014 को उस समय उपन्न हुआ, जब प्रतिवादी क्रमांक 03 दीपावली त्यौहार के पश्चात वादीगण के घर आकर वादीगण को धमकी दिया कि अब वह अपना रहवासी मकान खाली कर अन्यत्र चले जाये। वादीगण के वाद का मूल्य पाने स्वत्व एवं हक की घोषणार्थ 1,000/- रुपये जिस पर 500/- एवं वादग्रस्त भूमि पर अंश निर्धारण कर बंटवारा हेतु भूमि की लगान 14.77 रुपये के 20 गुना 296/- पर 40/- रुपये कुल 1,296/- रुपये पर 540/- रुपये का न्याय शुल्क वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अतः मौजा मण्डई प.ह.न.47 जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त संपत्ति ख.नं.71/1 रकबा 4.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़, खसरा नंबर 29/3 रकबा 2.45 एकड़, खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52 एकड़, खसरा नंबर 39/4 रकबा 3.00 एकड़ एवं मौजा बोदा प.ह.नं.46 में स्थित खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़, खसरा नंबर 32/2 रकबा 0.24 एकड़ कुल रकबा 44.79 एकड़ भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि एवं उसकी आय से अर्जित भूमि होने के कारण उस पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 का संयुक्त स्वत्व एवं हक होने की घोषणा प्रदान की जावे तथा उपरोक्त संपूर्ण भूमि का अंश निर्धारण

कर बंटवारा की आज्ञाप्ति प्रदान की जाकर प्रत्येक हिस्सेदार को उन्हें बंटवारा में प्राप्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे।

13— पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 व 10 से 12 एवं 14 से 16 ने यह व्यक्त किया है कि मूल पुरुष झुम्मुकलाल की दो पत्नि मलखोबाई एवं मनटोराबाई थी, जिनसे झुम्मुकलाल की बड़ी पत्नि मलखोबाई से 06 संतान जिसमें चार पुत्र एवं दो पुत्री क्रमशः महासिंह, माहोबाई, साहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह एवं कन्हैया थे एवं दूसरी पत्नि मनटोराबाई से दो पुत्री एवं एक पुत्र क्रमशः हिरोन्दीबाई, चिरोंजाबाई एवं महेश हुए, जिनमें से महासिंह, माहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह एवं कन्हैया की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण झुम्मुकलाल के पुत्र मोहन के वारसान है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 झुम्मुकलाल के बड़े पुत्र महासिंह के वारसान, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 झुम्मुकलाल की पुत्री माहोबाई के वारसान तथा प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 झुम्मुकलाल के पुत्र प्रतापसिंह के वारसान है तथा प्रतिवादी क्रमांक 13 झुम्मुकलाल के छोटे पुत्र कन्हैयालाल की वारसान अर्थात् पुत्री है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में झुम्मुकलाल की द्वितीय पत्नि मनटोराबाई एवं उससे उत्पन्न झुम्मुकलाल की संतान हिरोन्दीबाई, चिरोंजाबाई एवं महेश के बारे में किसी प्रकार का ना ही कोई कथन किया गया है ना ही उन्हें वाद पक्षकार बनाया गया है।

14— मूल पुरुष झुम्मुकलाल की ग्राम मण्डई में खसरा नंबर 71/1 रकबा 0.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़ कुल 10.29 एकड़ खानदानी भूमि थी और बाद में झुम्मुकलाल ने खसरा नंबर 29/3 रकबा 2.45 एकड़ भूमि स्वयं के नाम से क्रय किया था। कुल 12.94 एकड़ भूमि झुम्मुकलाल के पास थी और यह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, जिस पर झुम्मुकलाल के पांचों पुत्र महासिंह, मोहन, प्रताप, कन्हैया एवं महेश का बराबर-बराबर हक व अधिकार है।

झुम्मुकलाल द्वारा बाद में अपने पुत्र मोहन के नाम से खसरा नंबर 39 में से 4.52 एकड़ भूमि क़य कर उसे दी गई है जो वर्तमान में खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52 एकड़ मोहन के नाम से दर्ज है और झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्र मोहन एवं प्रताप के नाम से खसरा नंबर 39/1 में से 3.00 एकड़ भूमि क़य की गई जो वर्तमान में खसरा नंबर 39/4 रकबा 3.00 एकड़ मोहन एवं प्रताप के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है और जिस पर उन्हीं का हक, अधिकार है।

15— झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्र महासिंह को खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़ भूमि क़य कर ग्राम बोदा में दी गई है, जिस पर वर्तमान में महासिंह के वारसान प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का हक अधिकार है। झुम्मुकलाल द्वारा महासिंह के नाम से खसरा नंबर 5/21 रकबा 0.24 एकड़ भूमि क़य कर दी गई है, जिस पर कन्हैयालाल का हक अधिकार था और उसकी मृत्यु के पश्चात कन्हैयालाल के वारसान प्रतिवादी क्रमांक 13 का उसमें हक अधिकार एवं जोत चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त झुम्मुकलाल ने अपने पुत्र महेश के नाम से भी 6.00 एकड़ भूमि क़य कर उसे दिया है, जिस भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है और वादीगण द्वारा झुम्मुकलाल के उत्तराधिकारियों की गलत जानकारी दी गई है।

16— झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्रों को अलग-अलग भूमि क़य कर उन्हें दी गई है और झुम्मुकलाल ने भूमि क़य करते समय ही अपने पुत्रों के नाम से विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है और जिसके नाम से भूमि क़य की गई थी, उन्हीं का उस भूमि पर झुम्मुकलाल के जीवनकाल में जोत कब्जा है और झुम्मुकलाल द्वारा अपने जीवनकाल में सभी को कह दिया गया है कि जिस पुत्र के नाम से उसने भूमि क़य किया है उस पर उनके नाम के आधार पर उन्हीं का हक अधिकार रहेगा, कोई भी पुत्र दूसरे के नाम से क़य की गई भूमि पर किसी प्रकार के हक की मांग भविष्य में नहीं करेगा, इसलिये इस संबंध में झुम्मुकलाल

के जीवनकाल से वर्तमान तक उस संबंध में किसी प्रकार का विवाद किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया गया था। झुम्मुकलाल की मृत्यु सन् 1988 में हुई। यदि झुम्मुकलाल द्वारा कय की गई भूमि पर सभी का हक होता तो वादीगण या झुम्मुकलाल के अन्य वारसानों द्वारा इसके पूर्व भी इस संबंध में मांग की जा सकती थी।

17— झुम्मुकलाल की मृत्यु के पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि जो उपरोक्त कंडिका क्रमांक 13 में दर्शाई गई है, का झुम्मुकलाल के वारसानों के बीच वर्ष 2000 में विधिवत विभाजन भी हुआ है और उसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक काबिज मालिक होकर काश्त कर रहे हैं, जिसे वादीगण द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वाद अवधि बाह्य है। झुम्मुकलाल के पुत्र प्रताप के फौत होने के उपरांत उसकी मांदा कार्यक्रम में उपस्थिति रिश्तेदारों द्वारा प्रताप के हिस्से की भूमि उसके कोई पुत्र ना होने से उसकी पुत्रियों को दिये जाने के संबंध में चर्चा होने पर प्रताप के हिस्से की भूमि को वादीगण द्वारा स्वयं रखने की मांग करने लगे, तब उपस्थित गांव समाज एवं रिश्तेदार के लोगों द्वारा कहा गया कि प्रताप के कोई लड़के नहीं हैं, इसलिये उसकी भूमि उसकी पुत्रियाँ या वे जिसे कहेंगे वह ही प्राप्त कर सकेंगे। झुम्मुकलाल द्वारा जो उपरोक्त खानदानी भूमि बताई गई है, उसमें से खसरा नंबर 71/1 में से 2.00 एकड़ भूमि अपने छोटे पुत्र महेश को दी गई है, जिस पर शांतिपूर्वक मालिक काबिज है। उक्त संबंध में वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया है।

18— खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ एवं खसरा नंबर 29/3 में से 0.30 डिसमिल कुल 1.30 एकड़ भूमि झुम्मुकलाल द्वारा अपनी पुत्री साहोबाई को दान दे दी गई थी, जिसे झुम्मुकलाल की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि मलखोबाई द्वारा दान पत्र के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। वादी एवं प्रतिवादीगण गोंड अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं और उन

पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है। वादीगण पूर्ण रूप से गोंड जाति की रुढ़ी प्रथा से शासित होते हैं और गोंडी जाति की प्रथा के अनुसार पिता की संपत्ति पर पुत्रियों को कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, इसलिये झुम्मुकलाल की पुत्रियों या उनके वारसानों को खानदानी भूमि से किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त नहीं होता है और वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में भी इसके विपरीत विधि विरुद्ध ढंग से कथन करते हुए वाद पत्र पेश किया गया है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

19— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपत्ति मौजा मण्डई प.ह.नं.47 में खसरा नंबर 71/1 रकबा 4.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़, खसरा नंबर 29/3 रकबा 2.45 एकड़, खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52 एकड़, खसरा नंबर 39/4 रकबा 3.00 एकड़ एवं मौजा बोदा प.ह.नं.46 में स्थित खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़, खसरा नंबर 32/2 रकबा 5.00 एकड़, खसरा नंबर 32 में से 3.15 एकड़ एवं खसरा नंबर 5/21 रकबा 0.24 एकड़ कुल रकबा 44.79 एकड़ भूमि वादीगण के स्वामित्व की है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के 1/9 अंश के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित
4.	क्या उभयपक्ष गोंडी प्रथा से शासित होते हैं ?	प्रमाणित नहीं।
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 41 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-

20— प्रतिवादीगण के अनुसार वर्ष 2000 में विधिवत विभाजन के पश्चात के इतने वर्षों में कोई चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वाद अवधि बाह्य है। अपने अभिवचनों तथा साक्ष्य में वादीगण द्वारा यह स्वीकृत किया गया है कि झुमुकलाल द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का औपचारिक विभाजन कर दिया गया था, जिसके पश्चात से सभी वारसान वर्तमान तक शांतिपूर्वक अपने हिस्से में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। दिनांक 30.10.2014 को दीपावली त्यौहार के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा धमकी दिये जाने के संबंध में वादीगण द्वारा मात्र मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। होलसिंह अ.सा.02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई विवाद नहीं हुआ था और वह वादी जुगरीबाई के बताये अनुसार उक्त बात बता रहा है। वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि उनके द्वारा उक्त धमकी के पश्चात कहीं किसी प्रकार की शिकायत की गई थी और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य तत्संबंध में उपलब्ध है कि उनके सामने उक्त विवाद हुआ था। यद्यपि प्रताप की मौत के पश्चात कोई पुत्र वारसान न होने के कारण संपत्ति विवाद में वर्तमान वाद पेश किये जाने के प्रतिवादीगण के बचाव में भी कोई सम्पोषक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तथापि वाद कारण के संबंध में आरंभिक भार वादीगण पर ही है, जिसमें वह असफल रहे हैं तथा वादी जुगरीबाई वा.सा.01 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रताप के कोई पुत्र वारसान नहीं है। यद्यपि मात्र उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि प्रताप की मृत्यु पश्चात संपत्ति विवाद में वादीगण द्वारा वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, तथापि वादीगण भी वाद कारण उत्पत्ति दिनांक के संबंध में कोई उचित साक्ष्य दर्शित करने में असफल रहे हैं। झुमुकलाल की मृत्यु के 30 वर्षों पश्चात तक संपत्ति के संबंध में किसी विवाद का न होना भी स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में यह दर्शित नहीं होता कि वादीगण द्वारा स्वत्व घोषणा हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 110 के अधीन

निर्धारित 12 वर्षों की परिसीमा के अधीन वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-04 का निष्कर्ष:-

21- प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कथन किये गये हैं कि वह गोंडी प्रथा से शासित होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-2(2) यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मधुकिश्वर विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य ए.आई.आर.1996 एस.सी.1864 में यह प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम प्रथा से शासित होने वाली जनजातियों पर लागू नहीं होता है, परंतु गोंडी प्रथा में पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता। उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परंतु वह उसमें पूर्णतः अफसल रहे हैं।

22- प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि पूर्व अवसरों में भी पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता रहा है। मात्र मौखिक औपचारिक कथन कर देने से तत्संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। न्यायदृष्टांत रामूसिंह व अन्य विरुद्ध श्रीमति बांदीबाई व अन्य द्वितीय अपील क्रमांक 583/94 निर्णय दिनांक 13.09.2011 जबलपुर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रथा के संबंध में किसी विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में यह उपधारित किया जायेगा कि हिन्दू विधि के प्रावधान पक्षकारों पर लागू होते हैं। फलतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि उभयपक्ष गोंड प्रथा से शासित होते हैं, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 का निष्कर्ष

23— वादपत्र के अभिवचनों का समर्थन कर वादी जुगरीबाई वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे रिश्तेदार होकर मूल पुरुष झुम्मुकलाल के विधिक वारसान है। मूल पुरुष झुम्मुकलाल की नौ संतान थी, जिसमें पांच पुत्र एवं चार पुत्रियाँ क्रमशः माहासिंह, माहोबाई, साहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह, कन्हैया, हिरोन्दीबाई, चिरोंजाबाई तथा महेश थे, जिनमें से माहासिंह, माहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह एवं कन्हैया की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण झुम्मुकलाल के पुत्र मोहन के वारसान है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 झुम्मुकलाल के बड़े पुत्र माहासिंह के वारसान, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 झुम्मुकलाल की पुत्री माहोबाई के वारसान तथा प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 झुम्मुकलाल के पुत्र प्रतापसिंह के वारसान तथा प्रतिवादी क्रमांक 13 झुम्मुकलाल के छोटे पुत्र कन्हैयालाल की वारसान अर्थात् पुत्री है। प्रतिवादी क्रमांक 14 से 16 झुम्मुकलाल की द्वितीय पत्नि मनटोराबाई से उत्पन्न संतान है। झुम्मुकलाल मूल रूप से ग्राम मण्डई का निवासी था। ग्राम मण्डई में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि स्थित थी।

24— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 के अनुसार झुम्मुकलाल ने खानदानी भूमि में से उसे पारिवारिक विभाजन के दौरान हिस्से में प्राप्त मौजा मण्डई प.ह. नं.47 खसरा नंबर 71/1 रकबा 4.04/1.635 हेक्टेयर, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71/2.308 हेक्टेयर, 54/9 रकबा 0.54/0.217 हेक्टेयर कुल रकबा 10.29/4.160 हेक्टेयर खानदानी भूमि की आय एवं स्वयं कय की गई ग्राम मण्डई प.ह.नं.47 की भूमि खसरा नंबर 29 में से रकबा 2.45 एकड़, खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52/1.829 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 39/4 रकबा 3.00/1.214 हेक्टेयर कुल रकबा 9.97 एकड़ ग्राम बोदा प.ह.नं.40 की भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़, ख.नं.32/2 रकबा 5.00 एकड़, खसरा नंबर 32/1 में से रकबा 3.15 एकड़, खसरा नंबर 5/21 रकबा 0.24 एकड़ कुल रकबा 24.53 एकड़ कय किया था। पारिवारिक विभाजन उपरान्त झुम्मुकलाल ने उक्त

खानदानी भूमि की आय से दिनांक 30.12.1966 को खसरा नंबर 29 में से 2.45 एकड़ भूमि अपने स्वयं के नाम से कय किया था, जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 29/3 राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई। इसी प्रकार झुम्मुकलाल द्वारा ग्राम मण्डई में ही उक्त खानदानी भूमि की आय से अपने नाबालिग पुत्र मोहन के नाम पर खसरा नंबर 39 में से रकबा 4052 एकड़ भूमि दिनांक 15.02.1957 को कय किया जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 29/2 रकबा 4.52/1.829 हेक्टेयर दर्ज हुई एवं पुनः मोहन एवं प्रताप के नाम से दिनांक 09.05.1963 को खसरा नंबर 39/1 में से 3.00 एकड़ भूमि कय किया जो नामांतरण पश्चात खसरा नंबर 39/4 राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई। इसी तरह ग्राम बोदा प.ह.नं.46 में झुम्मुकलाल द्वारा अपनी उपरोक्त खानदानी भूमि की आय से अपने नाबालिग पुत्र महासिंह के नाम से खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़ भूमि दिनांक 15.10.1956 को कय किया एवं खसरा नंबर 5/21 रकबा 0.24 एकड़ भूमि भी दिनांक 22.12.1958 को महासिंह के नाम से ही कय कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया।

25— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 के अनुसार ग्राम बोदा में ही झुम्मुकलाल द्वारा अपने नाबालिग पुत्र कन्हैयालाल के नाम से खसरा नंबर 32/1 में से 3.15 एकड़ भूमि दिनांक 07.06.1974 को तथा खसरा नंबर 32 में से ही 5.00 एकड़ भूमि दिनांक 15.01.1968 को कय कर अपने नाबालिग पुत्र कन्हैया के नाम से विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया तथा झुम्मुकलाल द्वारा ग्राम मण्डई में 9.97 एकड़ एवं ग्राम बोदा में 24.53 एकड़ कुल 34.50 एकड़ भूमि अपनी खानदानी भूमि की आय से कय की गई, जिसे अपने नाबालिग पुत्रों के नाम से विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराया गया। झुम्मुकलाल की खानदानी भूमि सहित कुल 44.79 एकड़ भूमि थी, जिसे वह अपने परिवार के साथ काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। ग्राम बोदा, ग्राम मण्डई से कुछ दूरी पर स्थित है और ग्राम मण्डई से ग्राम बोदा में जाकर कृषि कार्य करने में झुम्मुकलाल को परेशानी होती थी, इसलिये कुछ समय पश्चात झुम्मुकलाल ने ग्राम बोदा में ही एक मकान बना लिया, जिसमें रहकर वह कृषि कार्य करता था। झुम्मुकलाल का बड़ा

पुत्र महासिंह बड़ा हो गया और उसका विवाह हुआ, तब महासिंह अपने परिवार अर्थात् अपनी पत्नि के साथ ग्राम बोदा के ही मकान में जाकर रहने लगा, तब से झुम्मुकलाल के बड़े पुत्र महासिंह का परिवार ग्राम बोदा में ही निवास करता है और झुम्मुकलाल का शेष परिवार ग्राम मण्डई में निवास करता था, जो वर्तमान में भी ग्राम मण्डई में ही निवासरत है। झुम्मुकलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी खानदानी एवं कय की गई भूमि का अपने परिवार में अंदाजन विभाजन कर दिया था और उक्त आधार पर उसके वारसान वर्तमान में भी काबिज है, परन्तु झुम्मुकलाल की संपूर्ण 44.79 एकड़ भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ और वर्तमान में भी झुम्मुकलाल ने कय किया था, उसी आधार पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज है।

26— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 के अनुसार झुम्मुकलाल के जीवनकाल से ही उसका बड़ा पुत्र महासिंह ग्राम बोदा में निवास करता था, इसलिये ग्राम बोदा की भूमि पर उसका ही जोत एवं कब्जा रहा और ग्राम मण्डई की भूमि पर झुम्मुकलाल के शेष वारसान का जोत व कब्जा रहा और किसी भी पक्ष ने अभी तक उक्त भूमि के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं किया। वर्ष 2014 के दीपावली त्यौहार के एक सप्ताह पश्चात दिनांक 30.10.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 03 मोतीलाल ग्राम मण्डई में वादीगण के घर आया और वादीगण से कहने लगा कि वादीगण जिस मकान में रहते हैं, वहाँ पर उसका हिस्सा है और वह उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाये, जिस पर वादीगण ने कहा कि झुम्मुकलाल ने यह मकान उन्हें रहने के लिये दिया है और झुम्मुकलाल के जीवनकाल से वह लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, इसलिये बिना संपूर्ण भूमि का विभाजन हुए वह मकान खाली नहीं करेंगे, तब प्रतिवादी क्रमांक 03 ने वादीगण को धमकी दिया कि यदि मकान खाली नहीं करोगे तो बुलडोजर लाकर मकान को तुड़वा देगा और ग्राम बोदा की भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं देगा और वादीगण ग्राम मण्डई की जिस भूमि एवं मकान में काबिज है, उससे भी उन्हें बेदखल कर देगा।

27— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 के अनुसार उपरोक्त संपूर्ण भूमि वादीगण की खानदानी एवं वादीगण के पूर्व झुमुकलाल द्वारा अर्जित भूमि होने से उक्त संपूर्ण भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हक, अधिकार है और संपूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि होने से उभयपक्ष अपना हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है तथा वादीगण उन्हें हिस्से में प्राप्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के हकदार है। मूल पुरुष झुमुकलाल की कुल नौ संतान, जिसमें पांच पुत्र एवं चार पुत्रियाँ थी, जिसमें से वादीगण झुमुकलाल के पुत्र मोहन के उत्तराधिकारी है, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 झुमुकलाल के बड़े पुत्र महासिंह के वारसान है, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 झुमुकलाल की पुत्री माहोबाई की संतान है।

28— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 के अनुसार झुमुकलाल की पुत्री साहोबाई स्वयं जीवित है और प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 झुमुकलाल के पुत्र प्रतापसिंह के वारसान है और प्रतिवादी क्रमांक 13 झुमुकलाल के छोटे पुत्र कन्हैया की पुत्री है, प्रतिवादी क्रमांक 14 से 16 मूल पुरुष झुमुकलाल की द्वितीय पत्नि मनटोराबाई से उत्पन्न संतान है। उक्त संपूर्ण भूमि पर वादीगण का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 09 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 का 1/9 एवं प्रतिवादी क्रमांक 13 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 14 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 15 का 1/9 अंश तथा प्रतिवादी क्रमांक 16 का 1/9 अंश अर्थात् लगभग 4.97 एकड़ भूमि का स्वत्व एवं हिस्सा है।

29— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, क्योंकि उक्त भूमि में से 10.29 एकड़ भूमि झुमुकलाल को खानदानी हक में प्राप्त हुई थी और शेष भूमि झुमुकलाल द्वारा स्वयं कय की गई है, इसलिये उक्त संपूर्ण भूमि जो वर्तमान में भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान में अलग-अलग झुमुकलाल के

वारसान के नाम से दर्ज है। संपूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि होने के कारण उस पर झुमुकलाल के सभी वारसानों का स्वत्व एवं हक होने की घोषणा की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे तथा उपरोक्त भूमि पर वादीगण का 1/9 अंश प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 का 1/9, प्रतिवादी क्रमांक 09 का 1/9, प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 का 1/9 एवं प्रतिवादी क्रमांक 13 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 14 का 1/9 अंश, प्रतिवादी क्रमांक 15 का 1/9 अंश तथा प्रतिवादी क्रमांक 16 का 1/9 अंश अर्थात् लगभग 4.97 एकड़ भूमि का स्वत्व एवं हिस्सा होने से उक्तानुसार अंश निर्धारण कर बंटवारा की आज्ञाप्ति प्रदान किया जाकर प्रत्येक हिस्सेदार को उन्हें बंटवारा में प्राप्त भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

30— वादी जुगरीबाई वा.सा.01 ने अपने वादपत्र के समर्थन में मूल ऋण पुस्तिका क्रमांक 044440 प्र.पी.01, मूल ऋण पुस्तिका क्रमांक 644432 प्र.पी.02, पांचसाला खसरा दिनांक 22.02.15 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.03, पांचसाला खसरा दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.04, पांचसाला खसरा दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.05, किश्तबंदी खतौनी दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.06, किश्तबंदी खतौनी दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.07, किश्तबंदी खतौनी दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.08, किश्तबंदी खतौनी दिनांक 24.04.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.09, बयनामा दिनांक 07.06.1974 की मूल प्रति प्र.पी.10, बयनामा दिनांक 11.10.1956 की मूल प्र.पी.11, बयनामा दिनांक 15.01.1968 की मूल प्रति प्र.पी.12, बयनामा दिनांक 15.02.1957 की मूल प्रति प्र.पी.13, सहमति पत्र दिनांक 28.12.1967 की मूल प्रति प्र.पी.14, सहमति पत्र दिनांक 19.11.1967 की मूल प्रति प्र.पी.15, बयनामा दिनांक 09.05.1963 की मूल प्रति प्र.पी.16, बयनामा दिनांक 30.12.1966 की मूल प्रति प्र.पी.17, बयनामा दिनांक 20.12.1958 की मूल प्रति प्र.पी.18 प्रस्तुत की है। उक्त कथनों का समर्थन होलसिंह वा.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

31— वादीगण की साक्ष्य का खण्डन कर प्रतिवादी मोती मरकाम प्र.सा.01 ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वह उपरोक्त पते का निवासी है तथा प्रतिवादीगण उसके खानदान के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल पुरुष झुम्मुकलाल के विधिक वारसान है। मूल पुरुष झुम्मुकलाल की दो पत्नि मलखोबाई एवं मनटोराबाई थी। झुम्मुकलाल की बड़ी पत्नि मलखोबाई से 06 संतान, जिसमें चार पुत्र एवं दो पुत्री क्रमशः महासिंह, माहोबाई, साहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह एवं कन्हैया थे एवं दूसरी पत्नि मनटोराबाई से दो पुत्री एवं एक पुत्र क्रमशः हिरोन्दीबाई, चिरोंजाबाई एवं महेश हुए, जिनमें से महासिंह, माहोबाई, मोहन, प्रतापसिंह एवं कन्हैया की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण झुम्मुकलाल के पुत्र मोहन के वारसान है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 झुम्मुकलाल के बड़े पुत्र महासिंह के वारसान, प्रतिवादी क्रमांक 06 से 08 झुम्मुकलाल की पुत्री माहोबाई के वारसान तथा प्रतिवादी क्रमांक 10 से 12 झुम्मुकलाल के पुत्र प्रतापसिंह के वारसान है तथा प्रतिवादी क्रमांक 13 झुम्मुकलाल के छोटे पुत्र कन्हैयालाल की वारसान अर्थात् पुत्री है। प्रतिवादी क्रमांक 14 से 16 मूल पुरुष झुम्मुकलाल की द्वितीय पत्नि मनटोराबाई से उत्पन्न संतान है।

32— प्रतिवादी मोती मरकाम प्र.सा.01 के अनुसार मूल पुरुष झुम्मुकलाल की ग्राम मण्डई में खसरा नंबर 71/1 रकबा 0.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़ कुल 10.29 एकड़ खानदानी भूमि थी और बाद में झुम्मुकलाल ने खसरा नंबर 29/3 रकबा 2.45 एकड़ भूमि स्वयं के नाम से क्रय किया था। कुल 12.94 एकड़ भूमि झुम्मुकलाल के पास थी और यह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, जिस पर झुम्मुकलाल के पांचों पुत्र महासिंह, मोहन, प्रताप, कन्हैया एवं महेश का बराबर-बराबर हक व अधिकार है। झुम्मुकलाल द्वारा बाद में अपने पुत्र मोहन के नाम से खसरा नंबर 39 में से 4.52 एकड़ भूमि क्रय कर उसे दी गई है जो वर्तमान में खसरा नंबर 39/2 रकबा 4.52 एकड़ मोहन के नाम से दर्ज

है और झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्र मोहन एवं प्रताप के नाम से खसरा नंबर 39/1 में से 3.00 एकड़ भूमि क्रय की गई जो वर्तमान में खसरा नंबर 39/4 रकबा 3.00 एकड़ मोहन एवं प्रताप के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है और जिस पर उन्हीं का हक, अधिकार है।

33— प्रतिवादी मोती मरकाम प्र.सा.01 के अनुसार झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्र महासिंह को खसरा नंबर 31 रकबा 16.14 एकड़ भूमि क्रय कर ग्राम बोदा में दी गई है, जिस पर वर्तमान में महासिंह के वारसान प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 का हक अधिकार है। झुम्मुकलाल द्वारा महासिंह के नाम से खसरा नंबर 5/21 रकबा 0.24 एकड़ भूमि क्रय कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम बोदा में ही झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्र कन्हैयालाल का हक अधिकार था और उसकी मृत्यु के पश्चात कन्हैयालाल के वारसान प्रतिवादी क्रमांक 13 का उसमें हक अधिकार एवं जोत चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त मूल पुरुष झुम्मुकलाल ने अपनी द्वितीय पत्नि मनटोराबाई के नाम से खसरा नंबर 70/2 रकबा 3.00 एकड़ एवं खसरा नंबर 64/2 रकबा 3.00 एकड़ कुल 6.00 एकड़ भूमि क्रय किया था, जो मनटोराबाई की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र महेश के नाम से भी 6.00 एकड़ भूमि राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, जिसके संबंध में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा मूल पुरुष झुम्मुकलाल के सभी वारसानों को प्राप्त भूमि के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया गया है।

34— प्रतिवादी मोती मरकाम प्र.सा.01 के अनुसार झुम्मुकलाल द्वारा अपने पुत्रों को अलग-अलग भूमि क्रय कर उन्हें दी गई है और झुम्मुकलाल ने भूमि क्रय करते समय ही अपने पुत्रों के नाम से विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है और जिसके नाम से भूमि क्रय की गई थी, उन्हीं का उस भूमि पर झुम्मुकलाल के जीवनकाल में जोत कब्जा है और झुम्मुकलाल द्वारा अपने जीवनकाल में सभी को कह दिया गया था कि जिस पुत्र के नाम से उसने भूमि क्रय किया है उस

पर उनके नाम के आधार पर उन्हीं का हक व अधिकार रहेगा, कोई भी पुत्र दूसरे के नाम से क़य की गई भूमि पर किसी प्रकार के हक की मांग भविष्य में नहीं करेगा, इसलिये इस संबंध में झुम्मुकलाल के जीवनकाल से वर्तमान तक उस संबंध में किसी प्रकार का विवाद किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया गया था। झुम्मुकलाल की मृत्यु सन् 1988 में हुई। झुम्मुकलाल द्वारा क़य की गई भूमि पर यदि सभी का हक होता तो वादीगण या झुम्मुकलाल के अन्य वारसानों द्वारा इसके पूर्व भी इस संबंध में मांग की जा सकती थी।

35— प्रतिवादी मोती सरकाम प्र.सा.01 के अनुसार झुम्मुकलाल की मृत्यु उपरांत वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि जो वादपत्र में दर्शाई गई है, का झुम्मुकलाल के वारसानों के बीच वर्ष 2000 में विधिवत बंटवारा हुआ है और उसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक काबिज मालिक होकर काश्त कर रहे हैं। झुम्मुकलाल के पुत्र प्रताप की मृत्यु उपरांत उसकी मां दी कार्यक्रम में उपस्थिति रिश्तेदारों द्वारा प्रताप के हिस्से की भूमि उसके कोई पुत्र ना होने से उसकी पुत्रियों को दिये जाने के संबंध में चर्चा होने पर प्रताप के हिस्से की भूमि को वादीगण द्वारा स्वयं रखने की मांग करने लगे, तब उपस्थित गांव समाज एवं रिश्तेदार के लोगों द्वारा कहा गया कि प्रताप के कोई लड़के नहीं हैं, इसलिये उसकी भूमि उसकी पुत्रियाँ या वह जिसे कहेंगे वह ही प्राप्त करेगा। झुम्मुकलाल द्वारा जो उपरोक्त खानदानी भूमि बताई गई है, उसमें से खसरा नंबर 71/1 में से 2.00 एकड़ भूमि अपने छोटे पुत्र महेश को दी गई है तथा झुम्मुकलाल द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 16 महेश के नाम से भूमि क़य की गई थी, जिस पर वह शांतिपूर्वक मालिक काबिज है, जिसके संबंध में वादीगण द्वारा वादपत्र में कोई कथन नहीं किये गये हैं। खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि झुम्मुकलाल द्वारा अपनी पुत्री साहोबाई को दान पत्र के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई, जिसके संबंध में भी वादीगण द्वारा कोई कथन नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त झुम्मुकलाल द्वारा खसरा नंबर 47/2 रकबा 4.00 एकड़ भूमि अपने पुत्र प्रताप के नाम से क़य की गई थी, जिसमें से 1.96 एकड़

भूमि झुम्मुकलाल की बहन सुकवारोबाई को दान पत्र के माध्यम से दी गई थी और शेष 2.04 एकड़ भूमि प्रताप वल्द झुम्मुकलाल के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, जिसके संबंध में भी वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कोई कथन नहीं किये गये हैं।

36— प्रतिवादी मोती मरकाम प्र.सा.01 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण गोंड अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं और उन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है। वादीगण पूर्ण रूप से गोंड जाति की रूढ़ी प्रथा से शासित होते हैं और गोंडी जाति की प्रथा के अनुसार पिता की संपत्ति पर पुत्रियों को कोई हक, हिस्सा प्राप्त नहीं होता है, इसलिये झुम्मुकलाल की पुत्रियों या उनके वारसानों को खानदानी भूमि से किसी प्रकार का हक, हिस्सा प्राप्त नहीं होता है और वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में भी इसके विपरीत विधि विरुद्ध ढंग से कथन करते हुए वाद पत्र पेश किया गया है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

37— प्रतिवादी मोती मरकाम प्र.सा.01 ने अपने जवाबदावे के समर्थन में वाद कथित भूमि से संबंधित संशोधन पंजी क्रमांक 01 दिनांक 19.01.1992 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.01, संशोधन पंजी क्रमांक 02 दिनांक 19.01.1992 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.02, संशोधन पंजी क्रमांक 26 दिनांक 22.02.1975 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.03, अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.04, संशोधन पंजी क्रमांक 17 दिनांक 15.03.1996 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.05, संशोधन पंजी क्रमांक 11/203 दिनांक 16.03.1999 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.06, संशोधन पंजी क्रमांक 16/413 दिनांक 16.03.1999 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.07, संशोधन पंजी क्रमांक 06 दिनांक 26.10.1990 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.08, संशोधन पंजी क्रमांक 216 दिनांक 29.05.1968 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.09, संशोधन पंजी क्रमांक 81 दिनांक 25.11.1964 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.10, संशोधन पंजी क्रमांक 143 दिनांक 06.01.1967 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.11, संशोधन पंजी क्रमांक 01 दिनांक 25.01.1994 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.12,

संशोधन पंजी क्रमांक 26/413 वर्ष 2001 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.13, पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.14, पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.15, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.16, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.17, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.18, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.19, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.20, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.21, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.22, पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.23, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.24, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.25, पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.26, किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.27, पांचसाला खसरा की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.28, विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2015 की मूलप्रति प्र.डी.29, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एल.बी.एल. 017435 मूल प्र.डी.30, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एल.ए.644714 मूल प्र.डी.31 एवं संशोधन पंजी क्रमांक 04 दिनांक 15.05.1995 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.32 प्रस्तुत किया है।

38— प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 71/1 रकबा 0.04 एकड़, खसरा नंबर 49/1 रकबा 5.71 एकड़, खसरा नंबर 54/9 रकबा 0.54 एकड़ तथा खसरा नंबर 29/3 रकबा 2.45 एकड़ कुल 12.94 एकड़ भूमि का खानदानी होना स्वीकृत किया गया है। शेष भूमि के संबंध में उनके अभिवचन है कि उक्त भूमि मूल पुरुष झुमुकलाल द्वारा स्वयं की आय से कय की गई थी, जबकि वादीगण के अनुसार समस्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है, जिस पर सभी वारसानों का अधिकार है। उक्त भूमि पैतृक भूमि की आय से कय की गई थी। उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादीगण पर है, परंतु उनके द्वारा तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। स्वयं वादी जुगरीबाई वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि झुमुकलाल ने जो भूमि कय की थी वह उसके विवाह के पूर्व कय की थी, जिनके कय के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अन्य वादी साक्षी होलसिंह वा.सा.02 ने भी तत्संबंध में कोई विशिष्ट

कथन नहीं किये हैं। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा भी तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, तथापि सबूत का भार अंततः वादीगण पर है, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहे हैं। मात्र मौखिक औपचारिक अभिवचन कर देने मात्र से तत्संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

39— प्रकरण में प्रतिवादीगण के स्पष्ट अभिवचन हैं कि झुमुकलाल के वारसानों के बीच वर्ष 2000 में विधिवत विभाजन हुआ था, जिसके आधार पर सभी वारसान शांतिपूर्वक अपने हिस्से में काबिज चले आ रहे हैं। यद्यपि वादीगण विधिक विभाजन के तथ्य को अस्वीकार कर रहे हैं, तथापि उनके द्वारा अपने अभिवचनों और साक्ष्य में ही यह व्यक्त किया गया है कि झुमुकलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का औपचारिक विभाजन कर दिया गया था, जिसके अनुसार सभी वारसान काबिज हैं। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन के संबंध में कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, तथापि स्वयं वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को स्वीकृत किया गया है, जिससे तत्संबंध में किसी विशिष्ट साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु किसी विशिष्ट दस्तावेज या संविदा की आवश्यकता नहीं होती तथा वह पक्षकारों के आचरण से ही दर्शित किया जा सकता है। झुमुकलाल की मृत्यु वर्ष 1988 में होना अविवादित है तथा पश्चात के लगभग 30 वर्षों तक अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर किसी विवाद का न किया जाना ही यह दर्शित करता है कि उभयपक्ष द्वारा पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुपालन में कार्य किया गया है, जिस संबंध में उनके मध्य कोई विवाद नहीं रहा है।

40— विबंध के सिद्धांत हेतु यह आवश्यक है कि तत्संबंध में विशिष्ट अभिवचन किया जाए। यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में तत्संबंध में कोई कथन किये हैं, तथापि उनके द्वारा अपने तर्क में तत्संबंध में बचाव लिया गया है। न्यायदृष्टांत सोमनाथ वि० अंबिका ए० 1950 ए० 121 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि विबंध हेतु सभी आवश्यक तथ्य साबित कर

दिये जाए तो विशिष्ट अभिवचन न होने के पश्चात भी न्यायालय तत्संबंध में उपधारणा कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा तत्संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किये गये हैं, तथापि प्रस्तुत साक्ष्य तथा स्वयं वादीगण की स्वीकृति से तत्संबंध में सहज रूप से उपधारणा की जा सकती है। फलतः साक्ष्य के अभाव में तथा उक्त विधिक सिद्धांत के परिपालन में वादीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार दर्शित करने में असफल रहे हैं, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

41- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है कि:-

अ. वादीगण द्वारा वाद व्यय वहन किया जावेगा।

ब. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / -

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर

जिला बालाघाट म.प्र.

जिला बालाघाट म.प्र.